Loans by Nationalised Banks to Weaker Sections of Socity visa-vis big Industrial Houses

7363. SHRIMATI KISHORI SINHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state the position with regard to the lending position of nationalised banks to weaker sections of the society vis-a-vis the big industrial Houses?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): Advances to weaker sections, including advances under the Differential Rate of Interest Scheme are covered under Priority Sector which comprises of Agriculture, Small Scale Industry, Transport Operators, Retail Trade and Small Business, Professional and Self-Employed and Education.

The latest available comparative position of total advances, advances to Priority Sector, advances under D.R.I. Scheme and advances to large Industrial Groups (registered under Section 26 of Monopoly and Restrictive Trade Practices Act) as regards public sector banks, is as follows:

Advances	Rs. in crores
1. Total Advances*	17,287.00
2. Priority Sector*	6,006.53
3. D.R.I.*	139.49
4. Large Industrial Goups (As at the end of December, 1978)	1,442.08

*As at the end of December, 1977—Provisional.

ग्वालियर में फर्मों को इस्पात की सप्लाई

7364. **श्री दिलीप सिंह भूरिया:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1977 से 1979 तक स्टील यार्ड से ग्वालियर जिले की प्रत्येक फर्म को इस्पात की कितनी मात्रा सप्लाई की गई थी;

(ख) क्या उक्त फर्मों ने इस्पात का उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया है, जिस प्रयोजन से उन्हें यह सप्लाई किया गया था;

(ग) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने इस्पात के उस कोटे का उपयुक्त उपयोग नहीं किया है जो उन्हें सप्लाई किया गया था;

(घ) इस सम्बन्ध में हुई जांच में कौन-कौन सी फर्में दोषी पाई गई हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) स्टाकयार्ड से की गई सप्लाई का जिलावार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) प्रत्येक प्राप्तकर्ता के द्वारा किये गये इस्पात के उपयोग की जांच नहीं की जाती है। इस्पात के दुरुपयोग के जो विशेष मामले लोहा और इस्पात नियंत्रक के ध्यान में लाये जाते हैं उनकी जांच की जाती है। कुछ निरीक्षण अचानक और आकस्मिक भी किये जाते हैं।

(ग) से (ङ). दिसम्बर, 1970 में क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रक, हैदराबाद को इस्पात के दुरुपयोग के कुछ मामलों की रिपोर्ट मिली थी। जांच के आधार पर 11 इकाइयों के विरुद्ध इस्पात के दुरुपयोग के मामले सिद्ध हो गये थे। इन इकाइयों के नाम नीचे दिये गये हैं। इन इकाइयों को उनके नाम के सामने दी गई अवधि के लिए इस्पात की सप्लाई से विवर्जित कर दिया गया है। 6 और इकाइयों के विरुद्ध जांच का कार्य चल रहा है।